जल उपयोगकर्ता समिति

प्रशिक्षण पुस्तिका

वाटर फॉर पीपल

प्रशिक्षण पुस्तिका

1) पृष्ठभूमि 2
1.1 उद्देश्य 2
1.2 लक्षित समूह: 2
1.3 प्रशिक्षण अवधि: 2
1.4 प्रशिक्षण स्थान: 2
1.5 प्रशिक्षण सत्र/विषय: 3
2. संस्था का परिचय तथा संस्था के लक्ष्य और उद्देश्य: 4
2.1 संस्था द्वारा किये किए जा रहै कार्य: 5
3. जल उपयोगकर्ता समिति (WUC) 5
3. 6 जल उपयोगकर्ता समिति की जिम्मेदारियां : 9
4. सोख्ता गड्ढा का निर्माण तथा उसका संरक्षण 12
4.1 सोख्ता गड्ढा क्या होता है ? 12
4.2 सोख्ता गड्ढा बनाने की विधि:- 12
5. जलबंधु कार्यक्रम पर चर्चा 13
6. जल-जाँच पर चर्चा 14
7. प्रशिक्षण का समापन 15
अनुलग्नक 16
प्रशिक्षण में उपयोग आने वाले सामग्री 16

1) पृष्ठभूमि

प्रशिक्षण का उद्देश्य सुरक्षित, सुविधाजनक, स्थायी जल आपूर्ति और उनके बेहतर उपयोग के माध्यम से लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है तथा जल उपयोगकर्ता समिति के प्रतिनिधियों तथा सदस्यों के बीच जागरूकता और सामाजिक जिम्मेदारी बनाना है । यह शुद्ध पेय तथा चापाकल के रख-रखाव के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान करने के लिए हैं।
यह प्रशिक्षण मॉड्यूल उन सदस्यों को प्रशिक्षित करने के लिए व्याख्यायित है जो निम्न उद्देश्य के साथ ग्राम स्तर पर जल उपयोगकर्ता समिति का हिस्सा हैं।

1.1 उद्देश्य

- जल उपयोगकर्ता समिति का अर्थ, रचना के बारे में समझ तथा सदस्यों की सामान्य भूमिकाएँ के बारे में जानकारी देना
- चापाकल का उचित प्रबंधन, और साथ ही संचालन एवं रख-रखाव के लिए अधिक प्रभावी परिचालन प्रणाली तैयार करना
- चापाकल उपयोग से सम्बंधित कठिनाई तथा उचित समाधान की जानकारी देना
- अंशदान (सहयोग राशी) की बेहतर स्थिरता
- जल उपयोगकर्ता समितियों की जिम्मेदारियों और स्वामित्व पर स्पष्टता
- पीने के पानी, स्वच्छता और स्वच्छ व्यवहार के महत्व पर प्रतिभागियों के बीच बेहतर समझ विकसित करना

1.2 लक्षित समूह:

जल उपयोगकर्ता समिति के प्रतिनिधि तथा सभी सदस्य

1.3 प्रशिक्षण अवधि:

~~3~~ 2 घंटा 40मिनट

1.4 प्रशिक्षण स्थान:

सामुदायिक भवन /ग्राम पंचायत भवन /स्कूल /प्रतिभागियों की सुविधा के अनुसार

1.5 प्रशिक्षण सत्र/विषय:

विषय	**पद्धति/ तरीका**	**समय अवधि**	**संसाधन व्यक्ति**
Registration/ पंजीकरण	उपस्थिती/ प्रशिक्षण पुस्तिका	5 मिनट	सामाजिक उत्प्रेरक
संस्था का परिचय तथा संस्था के लक्ष्य और उद्देश्य की जानकारी देना	व्याख्यान प्रणाली (Lecture Mode)	10 मिनट	परियोजना समन्वयक/ सामाजिक उत्प्रेरक
सभी प्रतिभागी का परिचय	One to one	5 मिनट	सामाजिक उत्प्रेरक
संस्था द्वारा अब तक किये गए कार्यो का सार	व्याख्यान प्रणाली (Lecture Mode)	5 मिनट	परियोजना समन्वयक / सामाजिक उत्प्रेरक
जल उपयोगकर्ता समिति क्यों महत्मपूर्ण है	व्याख्यान प्रणाली (Lecture Mode)	5 मिनट	परियोजना समन्वयक / सामाजिक उत्प्रेरक
मासिक शुल्क क्यों जमा करना चाहिए?	व्याख्यान प्रणाली (Lecture Mode)	5 मिनट	परियोजना समन्वयक / सामाजिक उत्प्रेरक
जल उपयोगकर्ता समिति का गठन और उसकी जिम्मेदारियां	व्याख्यान प्रणाली (Lecture Mode)	15 मिनट	परियोजना समन्वयक / सामाजिक उत्प्रेरक
बैंक खता खुलना एबं उसकी संचालन	व्यावहारिक प्रदर्शन Practical demostration	10 मिनट	परियोजना समन्वयक / सामाजिक उत्प्रेरक

रिकॉर्ड कैसे बनाये रखा याए (प्रस्ताव कैसे तैयार करना, आय ब्यय पंजी कैसे बनबाना है)	व्यावहारिक प्रदर्शन Practical demostration	15 मिनट	परियोजना समन्वयक / सामाजिक उत्प्रेरक
चेकिंग,ग्रेशिंग एबं टाईटेनिंग कैसे किया जाता है इसकी प्रदर्शन	व्यावहारिक प्रदर्शन Practical demostration	15 मिनट	परियोजना समन्वयक / सामाजिक उत्प्रेरक
जल का महत्त्व, जल प्रदुषण क्या है एबं इससे सम्बंधित बीमारी एबं जल जनित बीमारी क्या है एबं उससे बाचने का उपाय.	व्याख्यान प्रणाली (Lecture Mode)/share pictorial massage card	20 मिनट	परियोजना समन्वयक / सामाजिक उत्प्रेरक
सोख्ता गड्ढा का निर्माण तथा उसका संरंक्षण	चार्ट पेपर के द्वारा	~~30~~ 10 मिनट	परियोजना समन्वयक / सामाजिक उत्प्रेरक
जलबंधु कार्यक्रम एवं जलबंधू के कार्यों पर चर्चा	व्याख्यान प्रणाली (Lecture Mode)	~~20~~ 10 मिनट	परियोजना समन्वयक / सामाजिक उत्प्रेरक
जल-जाँच पर चर्चा	चार्ट पेपर के द्वारा	~~20~~ 5 मिनट	परियोजना समन्वयक / सामाजिक उत्प्रेरक
Open session/ खुला प्रश्न	One to one	~~15~~ 5 मिनट	परियोजना समन्वयक / सामाजिक उत्प्रेरक
प्रलेखन और अद्यतन प्रक्रिया (Documentation & update process)	रजिस्टर द्वारा	15 मिनट	परियोजना समन्वयक / सामाजिक उत्प्रेरक
धन्यवाद ज्ञापन	व्याख्यान प्रणाली (Lecture Mode)		मुखिया/ वार्ड सदस्य/ wuc सचिव या अध्यक्ष

2. संस्था का परिचय तथा संस्था के लक्ष्य और उद्देश्य:

वाटर फॉर पीपल 2011-12 से शिवहर जिले में सुरक्षित जल, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य सुविधाओं को बढावा देने हेतु अपने सहयोगी संस्थाओं के साथ मिलकर निरंतर अपना योगदान दे रही है | इस दिशा में हम स्थानीय सरकार के साथ सामंजस्य स्थापित कर समुदाय, विद्यालयों, स्वास्थ केंद्र एवं आंगनवाड़ी केंद्र में सुरक्षित पेयजल, शौचालय, एवं स्वच्छता में स्थायित्व सुनिश्चित करने हेतु निरंतर कार्यशील है|

संस्था का लक्ष्य: शिवहर में समुदायों के जीवन गुणवत्ता को बेहतर करना |

संस्था का उद्देश्य: 1) सुरक्षित जल और स्वच्छता सेवाओं का बढ़ता उपयोग और स्थायी प्रबंधन
2) लक्षित जल, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य संबधित व्यवहारों को अपनाना
3) जल और स्वच्छता उत्पाद और सेवाओं के लिए बेहतर बाजार प्रणाली

2.1 संस्था द्वारा किये किए जा रहै कार्य:

- समुदाय, विद्यालय एवं स्वास्थ्य केन्द्र में शुद्ध पेयजल उपयोग तथा शौचालय निर्माण एवं प्रयोग को सुनिश्चित करते है |
- संस्था द्वारा प्रत्येक परिवार को शौचालय निर्माण एवं शौचालय प्रयोग के लिए जागरूक किया जाता है |
- व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के लिए क़र्ज़ (microfinance) दिया जाता है साथ ही शौचालय निर्माण सम्बंधि सामग्री POP (पॉइंट ऑफ़ परचेज) के माध्यम से उलब्ध करना|
- सुरक्षित जल का उपयोग ,शौचालय का निर्माण एवं उपयोग तथा पांच मुश्किल समय में हाथ धोने के लिए नुक्कड़ नाटक ,उपयुक्त विषयों पर बनी लघु फिल्म तथा बहुआयामी कार्यक्रम के माध्यम से जागरूक करते है |
- उपयोगकर्ता समिति का गठन, मासिक बैठक और चापाकल रख रखाव एवं स्थायित्व सम्बन्धी क्रियाकलाप के बारे में बताया जाता है |
- जलबंधु का प्रशिक्षण तथा नियमित बैठक की जाती है|
- किसान समूह बनाकर नयी तकनीक एवं कम खर्च में खेती करना तथा किसानों की आमदनी को बढ़ाने का कार्य किया जाता है |

3. जल उपयोगकर्ता समिति (WUC)

भारत में और विशेष रूप से वाटर फॉर पीपल इंडिया के परियोजना क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति के लिए स्थापित कई चापाकल खराब रखरखाव और समुदाय के स्वामित्व की कमी के कारण गैर-परिचालन हो जाते हैं। उदाहरण के लिए शिवहर में, जिले में संपूर्ण जनसंख्या के लिए 8238 सरकारी (PHED स्थापित) चापाकल उपलब्ध हैं। इनमें से 2121 (लगभग 26%) गैर-कार्यात्मक हैं।

वाटर फॉर पीपल इंडिया के जल सुविधाओं के दृष्टिकोण के प्रमुख सामुदायिक प्रबंधन में से एक जल उपयोगकर्ता समितियों का गठन और संचालन है, जिसमें जल सुविधाओं के उपयोगकर्ता शामिल हैं। इसके द्वारा कार्यान्वित, स्थायित्व और संचालन और रखरखाव मोबाइल मेकनिक द्वारा समर्थित है जिसे जलबंधु (फ्रेंड्स ऑफ वॉटर) कहा

जाता है, जो मामूली मरम्मत और स्थायित्व के लिए समर्थित है। जलबंधु चापाकल की समयबद्ध मरम्मत प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति हैं।

पूर्ण सामुदायिक स्तर के कवरेज के लिए, पानी के लिए लोगों ने अपनी सामुदायिक चापाकल रणनीति को वार्ड स्तर पर लागू किया है। एक बार उस समुदाय के समुदाय और वार्ड सदस्य द्वारा अपेक्षित रूप से दिए जाने के बाद, समुदाय में सुरक्षित पेयजल की व्यवहार्यता के लिए मौजूदा सरकारी सामुदायिक चापाकल की वास्तविक स्थिति जानने के लिए जल के लिए लोगों द्वारा एक व्यवहार्यता अध्ययन किया जाता है। अध्ययन के बाद, सह-वित्त और अन्य मानदंडों पर नियमों और शर्तों पर चर्चा करने के लिए स्थानीय क्रियांन्ययन भागीदारों, वार्ड सदस्यों और समुदाय के लोगों के साथ एक संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है और समझौते की तैयारी की प्रक्रिया शुरू होती है। स्थल चयन संयुक्त रूप से समुदाय के साथ-साथ वार्ड सदस्य द्वारा किया जाता है और वाटर फॉर पीपल प्रतिनिधि के निकट मार्गदर्शन के साथ भागीदारों को लागू करता है।

स्थानीय समुदाय से सहमति प्राप्त करने के साथ, संचालन और रखरखाव (operation & maintenance) और जल बुनियादी ढांचे की स्थायित्व के लिए लक्षित उपयोगकर्ताओं के बीच एक जल उपयोगकर्ता समिति (water user committee) का गठन किया जाता है। हस्तक्षेपों की श्रृंखला लागू की जाती है और इसमें शामिल हैं:

- सामूहिक प्रबंधन पर उन्मुखीकरण और प्रशिक्षण (उपयोगकर्ता को उन्मुख करना और सी.जी.टी नट्स और वोल्ट्स की जाँच, ग्रीसिंग करना और कसना) के लिए प्रेरित करना
- संचालन और मरम्मत (इन चापाकलों के किसी भी छोटे / बड़े मरम्मत कार्य के लिए जलबंधु प्रत्येक चापाकल से जुड़े होते हैं),
- भुगतान शुल्क प्रणाली बनाना, इसका नियमित संग्रह और बैंक खाते में राशि जमा करना,
- अपशिष्ट जल प्रबंधन और चापाकल की नियमित स्वच्छता निगरानी
- पानी की गुणवत्ता की निगरानी
- सूचना, शिक्षा और संचार संदेश चापाकल पर
- जल गुणवत्ता परीक्षण,

60% से अधिक जल उपयोगकर्ता समितियों का प्रबंधन महिलाओं द्वारा इसके कार्यकारी समिति के सदस्य के रूप में किया जाता है। समिति मासिक सीजीटी और मामूली मरम्मत के लिए जलबंधु की मदद लेते है। समिति द्वारा स्थायित्व और प्रबंधित होने के बाद, 5-10 रुपये प्रति घर की मासिक उपयोगकर्ता शुल्क के संग्रह के माध्यम से परिचालन और रखरखाव करते है परन्तु महंगाई के अनुसार इस शुल्क को घाटा या बढाया जा सकते है, सामुदायिक चापाकल टिकाऊ होते हैं जो सुरक्षित गुणवत्ता वाला पेयजल प्रदान करने में समुदाय के उद्देश्य को पूरा करते हैं। जल उपयोगकर्ता समिति अपशिष्ट जल के प्रबंधन में भी रुचि रखती है जो पानी के उपयोग के बाद बाहर निकलता है। अपशिष्ट जल के प्रबंधन के लिए चापाकल से सुरक्षित दूरी पर सोख गड्ढे का निर्माण किया जाता है जिससे भूजल के पुनर्भरण हो सके। कुछ स्थानों पर, अपशिष्ट जल का उपयोग किचन गार्डनिंग के लिए भी किया जाता है।

जल उपयोगकर्ता समिति (WUC) का गठन समुदाय स्तर पर संस्था के द्वारा लगे चापाकल के रख रखाव के लिए की जाती है इस समिति में कुल 20 सदस्य होते हैं और इसमें 60% महिलाएं एवं 40% पुरुष की संख्या होती है| जल उपयोगकर्ता समिति का गठन वार्ड स्तर पर पानी उपयोग कर्ता के

बीच किया जाता है, जहाँ वाटर फॉर पीपल की सहयोगी संथाओं के द्वारा सुरक्षित चापाकल का निर्माण किया जाता है और ये समिति चापाकल के रख रखाव एवं सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता को सुनिश्चित करता है | ये समिति अतिरिक्त जल का प्रबंधन सोखता गड्ढे या किचन गार्डन में करता है | इस समिति में पानी उपयोग कर्ता के द्वारा सचिव, अध्यक्ष एवं कोषाध्याक्ष का चयन किया जाता है |

3.1 समुदाय में जल आधारित बुनियादी ढांचाओ के सुविधाओं के प्रबंधन, निगरानी और उसकी स्वामित्व सुनिश्चित करने के लिए जल उपयोगकर्ता समिति का गठन करना आवश्यक हैं। सरकार द्वारा स्थापित चापाकल पर पंचायती राज समिति के सदस्यों का ग्रामीण स्तर पर निगरानी नहीं होने के कारण चापाकल अक्रियाशील हो जाते है अतः हर जल आधारित ढांचे के लिए निगरानी समिति का चयन होना जरूरी है

ग्रामीण क्षेत्र में पीने का पानी को सुरक्षित रख-रखाव तथा पानी उपलब्धता की स्थायित्य सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय सरकारी प्रतिष्ठान के साथ साथ जल उपयोगकर्ता समिति की जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण है । अनेक सरकारी सामुदायिक चापाकल की समुचित रख-रखाव की कमी के कारण ध्वस्त या बंद हो जाते है एबं अनेक लोग असुरक्षित पानी पीने के लिए मजबूर हो जाते है । बर्तमान (2016 से) में बिहार सरकार हर घर नल का जल योजना ग्राम स्तर पर लागू की है परन्तु नये चापाकल की स्थापना एबं मौजूदा चापाकल की रख-रखाव की योजना को स्थगित कर दिया है । इस समस्या से निदान के लिए एबं सामुदायिक चापाकल हमेशा क्रियाशील बनाए रखने के लिए सामुदायिक स्तर पर रख-रखाव की व्यवस्था करना अबश्यक है।

3.2 मासिक शुल्क समुदायों में बुनियादी सुविधाओं जैसे सामुदायिक चापाकल के प्रबंधन के लिए बहुत जरुरी है । किसी भी बुनियादी ढ़ाचा को उसके रख-रखाव के लिए राशी की आबश्यकता होती है । सामुदायिक चापाकल की स्थायीत्य बनाये रखने के लिए समय समय पर उसका रख-रखाव करना जरुरी है आर इसके लिए समुदाय में सभी पानी उपयोगकर्ता से मासिक शुल्क लेना आबश्यक है ।

वाटर फॉर पीपल का मानना है कि अगर प्रति माह सभी पानी उपयोगकर्ता से 5 से 10 रुपया समूह में जमा होता है तो एक साल के बाद उनके पास कम से कम 1500 से 3000 रुपये जमा होंगे और सालो साल ये बढ़ता जायेगा। अगर कभी चापाकल ख़राब होता है तो समिति के सदस्य जमा राशी से जलबंधू (चापाकल मिस्त्री) के द्वारा चापाकल तुरन्त मरम्मत करवा सकते है । इस प्रकार संचालन से चापाकल को स्थायित्व प्रदान होगा तथा समुदाय में पानी की आपूर्ति दीर्घकाल तक होती रहेगी।

3.3 बैंक खाता खोलना एबं उसका संचालन

- जल उपयोगकर्ता समिति को मासिक बैठक में अपनी गतिविधियों और व्यय का लेखा-जोखा प्रस्तुत करना होता है जिसके लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाता खोला जाता है।
- मासिक बैठक में जल बुनियादी ढ़ाचा के संचालन और रखरखाव पर चर्चा की जाती है एबं उसका दस्तावेज तैयार किया जाता है । प्रति माह आय एबं व्यय का पूर्ण हिसाब रजिस्टर में प्रस्ताव पास करने के बाद बैंक में जमा एबं निकासी किया जाता है ।
- नियमित रूप से खाते में मासिक शुल्क जमा किया जाता है
- समूह से किसी दो व्यक्ति (साक्षर) इस खाते का संचालन करता है।
- समय समय पे खाता को अद्यतन किया जाता है ।

3.4. रिकॉर्ड कैसे बनाये रखा जाए (मिनिट्स कैसे तैयार करना,आय ब्यय पंजी कैसे बनबाना है)

- प्रशिक्षण के द्वारा मासिक आय-ब्यय पंजी, एबं मीटिंग रिज़ोल्यूशन कैसे तैयार करना है इसकी विस्तृत जानकारी दी जाती है तथा समूह में प्रत्येक सदस्य का क्षमता वृद्धि की जाती है।

पानी समिति की आय-ब्यय पंजी

The name of the Water User Committee/ जल उपयोगकर्ता समिति का नाम			The detail of Monthly tariff/मासिक शुल्क की बिबरण											
#	Name of the family/HH head/ परिवार का मुखिया का नाम / घर का प्रमुख	How many people depended/ कितने लोग निर्भर है	J/जनवरी	F/फरवरी	M/मार्च	A/अप्रैल	M/मई	J/जून	J/जुलाई	A/अगस्त	S/सितंबर	O/अक्टूबर	N/नवंबर	D/दिसंबर
कुल														
	इस महीने में कुल आय													
	शुरु से लेकर अब तक की कुल आय													
	कुल खर्च													
	बैंक में जमा													
	हाथ में शेष राशी													

पानी समिति की खर्च पंजी							
दिनांक	बदला गया सामग्री या खरीद की गयी सामग्री का विवरण या खर्च का प्रकार	इकाई की मात्रा या संख्या	दर	कुल खर्च	जिसके द्वारा खर्च किया गिया उसका नाम	समूह में उसका पद	हस्ताक्षर

3.5 चेकिंग,ग्रेशिंग एबं टाईटेनिंग कैसे किया जाता है इसकी प्रदर्सन

समुदायिक चापाकल के सुरक्षित रख-रखाब के लिए जल उपोयागकर्ता समिति समय समय पे चापाकल का नट बोल्ट,चैन एबं बियरिंग जॉच करते है और कम से कम दो महिना में एकबार ग्रिशिंग एबं नट बोल्ट को कसना सुनिश्चित करते है ।

3. 6 जल उपयोगकर्ता समिति की जिम्मेदारियां:

- पानी और स्वच्छता
- सामुदायिक अंशदान एकत्र करना
- जल उपयोगकर्ता मासिक शुल्क एकत्र करना
- जल उपयोगकर्ता शुल्क के लिए बैंक खाता खुलवाना
- चापाकल के निर्माण के समय देखरेख करने के लिए, साफ सफाई तथा मरम्मत के दौरान मदद करने के लिए समुदाय से श्रम के लिए जुटाना
- चापाकल के आस पास हमेशा सफाई रखना |
- चापाकल में होने वाली किसी भी तकनीकी समस्या को दूर करने के लिए जलबंधू को खबर देना तथा मरम्मत करवाना
- समुदाय के प्रति जवाबदेह होना
- चापाकल के उपयोग और उचित स्वच्छता के लिए लाभार्थियों को जागरूक करनासुनिश्चित करना कि चापाकल हर समय चालु हो
- पानी और स्वच्छता सेवाओं के लिए योजना, डिजाइन, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव
- पूंजीगत लागत और O&M जिम्मेदारी के लिए सामुदायिक योगदान सुनिश्चित करना
- मासिक टैरिफ एबं सेवा स्तरों का निर्धारण और उपयोगकर्ता शुल्क एकत्र करना और रिकॉर्ड को ठीक से बनाए रखना
- बैंक खातों (बैंक खाते का संचालन) को बनाए रखें - लेखा, जवाबदेही और पारदर्शिता के साथ रिपोर्टिंग तैयार रखना
- पानी की गुणवत्ता और गुणवत्ता निगरानी बनाए रखना (मानसून से पहले और बाद में)
- निर्माण में गुणवत्ता के मानक को जॉच करना
- वर्ष में एक बार पूरे हैंड पंप असेंबली को विघटित या खुल कर सभी भागों की जांच करवाना ।
- किसी भी स्पेयर पार्ट्स की ख़राब होने से उसको बदल देना ।
- किचन गार्डन या सोखता गड्ढे के माध्यम से अपशिष्ट जल का प्रबंधन करना
- निगरानी और मूल्यांकन के साथ सामुदायिक सशक्तिकरण योजना तैयार करना।

- आकलन के लिए मासिक एक बार / आवश्यकता के अनुसार बैठक आयोजित करना
- मरम्मत कार्य के लिए आवश्यकता होने पर जलबंधु से संपर्क करना (यदि आवश्यक हो) एबं मरमत करवाना
- अन्य लाभार्थियों को सुरक्षित पानी से निपटान के बारे में सूचित करना।
- अपशिष्ट जल प्रबंधन और स्रोत संरक्षण के लिए अन्य ग्रामीणों को प्रेरित करना

7.0 सुरक्षित जल का महत्त्व ,जल प्रदुषण क्या है एबं इससे सम्बंधित बीमारी एबं जल जनित बीमारी क्या है एबं उससे बचने का उपाय

lqjf{kr ty dk egRo :

ekuo 'kjhj eas 72 % Hkkx ¼jDr eas 95 %] efLr"d ,oa ekalifs'k;ksa eas 95 % ,o a gfM~M;ks aeas 95 %½ ty gksrk gS tks bl ckr ij tksj nsrk gS fd gekjh HkykbZ vkSj gekjs LokLF; ds fy, LoPN ty fdruk आवश्यक gSA gekjs 'kjhj ds dk;kZas ds mfpr j[kj[kko eas ty ,d egRoi.wkZ Hkfwedk fuHkkrk gSA

ty dh Hkfwedk

- ty gekjs 'kjhj dk fuekZ.k djrk gS vkSj QQsM+ks से lkal ysus ds fy, vkवश्यd gSA
- ty gekjs 'kjhj ds rkieku dks fu;fer j[krk gSA
- ty 'okla ds fy, vkWDlhtu को ue cukrk gSA
- ty gekjs 'kjhj ds egRoi.wkZ vaxkas ,o जोड़ों को lqj{kk ¼xn~nhnkj lajpuk ds tfj,½ çnku djrk gSA
- ty Hkkstu dks ÅtkZ eas ifjofrZr djus eas enn djrk gS ,o aik"skd rRoks ads vo'kk"sk.k es enn djrk gSA
- ty mikip; ds }kjk vif'k"V inkFkkZsa को gekjs 'kjhj से ckgj fudkyrk gSA
- ty jDr ds ifjlapj.k eas enn djrk gSA

blfy, ;g सुनिश्चित djuk cgqr gh egRoi.wkZ gS fd ge ftl ty dk mi;kxs djrs gSa og lqjf{kr gks vkSj lw{e thoks arFkk jklk;fud çnw"k.k ls eqDr gksA LoPN ty dk çko/kku aLokLF; ds लिए ,d vuqdwy i;kZoj.k ds fuekZ.k ds fy, ,d egRoi.wkZ dne gSA

जल प्रदुषण क्या है ?

स्वच्छ जल मानव एबं पशु अपशिष्ट और मानवीय गतिबिधियो के परिणामस्वरूप उत्पन्न उत्पादों (औद्योगिक, रसायनों, अम्लीय वर्षा) खरे जल के मिलने (ज्वारीय लहरे,समुद्र की जल स्तर में वृद्धि), के साथ ही उर्वरको, कीटनाशको एंब ख़राब वातावरण के जरिए पानी प्रदुषित हो रहा है ।

प्रदूषित जल से होने वाले बीमारी क्या है ?

जल स्वच्छता और साफ-सफाई का स्वास्थ्य एबं रोग दोनों पर महत्वपूर्ण प्रभाब होता है A आम तौर पर कुछ रोगों के बारे में निचे दिया गिया है जो संदूषित जल से होने वाले रोग
नोट : आम तौर पर कुछ रोग के बारे में निचे दिया गिया है -

रोग के प्रकार	**रोग के कारण**	**बिमारी का नाम**
जलजनित:	जल जनित रोग वे रोग होते है जो मानव, पशु अथबा रासायनिक अपशिष्टों के द्वारा संदूषित जल के उपयोग के कारण होता है इस प्रकार के रोग बिशेष कर उन क्षेत्र में होते है जहां उचित स्वच्छता सुबिधाओ की कमी होती है	अमिबियो एबं जेबम्बिक : कॉलरा (मछली के गन्ध बाला टॉइफोइड, पोलियो, गार्डिया, गस्त्रोइन्तिरिटीस (पेट का फ्लू), फ़ूड हाईजिनिंग-उलटी, हेपटाईटिस ए एबं इ
जल आधारित:	जल आधारित रोग उन परजीवियों के कारण होते है जिनका जीबन-चक्र जल में पूरा होता है	सिस्टोमियेसिस, गुइनिया वर्म, क्लानेलकेईसिस, डिफाइलोब्रोथासिस, परागानिमिएसिस
जल स्वच्छता:	जल स्वच्छता आधारित रोग वे होते है जिन्हे हम हाथ की उचित धुलाई और स्नान अदि स्वच्छता के नियमो का अपनाकर रोक सकते है	ट्रेकोमा और अंकोसियायसिस (रिबार ब्लाइंडनेस), बार्न टाईफस, लाउस बार्न रिलेस्पिंग फिबर
जल से संबोधित किट जनित रोग:	ये वे रोग है जो जल अथबा उसकी आसपास के क्षेत्र में रहनेबाले एबं अंडे देनेबाले कीटो के कारण होते है, एसे कीट एबं पशु के माध्यम से परजीबी मनुष्य तक फैलते है	फाईलाराइसिस, मलेरिया, डेंगू, पिला बुखार एबं अन्य निद्रा रोग, जापानी इन्सेफ़लईटिस, चिकेन गुनिया अदि

पेयजल में रसायनों के कारण उत्पन्न होनेवाले जल से संबधित कुछ आम रोगों का कारण एबं लक्षण:

रोग के नाम	**कारण**	**लक्षण**
अर्सेनोसिस	आर्सेनिक के उच्च स्तर बाले पेयजल के कारण	त्बचा के रंग में परिबर्तन हाथो एबं पाव के तलवो में कालापन होना
फ्लोरोसिस	फ्लोराइड के उच्च स्तर बाले पेयजल के कारण	दांत की फ्लोरोसिस, कंकाल फ्लोरोसिस -जोड़ो में कठोरता एबं दर्द
सीसे की बिषाक्तता	सीसे के उच्च स्तर बाले पेयजल के कारण	गम्भीर मानसिक और शारीरिक परेशानी I मसुढो के आसपास नीली लाइन

ब्लू बेबी सिंड्रोम (मेथेईमी ग्लोबिनेमिया)	नाइट्रेट के उच्च स्तर बाले पेयजल के कारण	शिशु की मुह, हाथ और पैर के पास नीले दिखनेबाले चिन्ह (ब्लू बेबी सिन्ड्रम), सांस लेने में तकलीफ साथ-साथ उल्टी और दस्त होता है

4. सोख्ता गड्ढा का निर्माण तथा उसका संरक्षण

चापाकल पर शुद्ध जल की एक बड़ी मात्रा बेकार जाती है जो की नाली में बह जाती है या फिर वहीँ आस पास एकत्र हो कर कीचड़ बनाती है इन स्रोतों के पास बर्बाद जल एकत्र होता रहता है जो मच्छरों को खुला निमंत्रण देता है जिस कारण बीमारियाँ फैलती है। इस समस्या को दूर करने के लिए चापाकल से कम से कम 33 फीट की दूरी पर एक सोख्ता गड्ढा बनाया जाता है।

4.1 सोख्ता गड्ढा क्या होता है ?

1.6mx1.6mx1.6m का एक खड्ढा जो की बेकार हुए शुद्ध जल को पुनः भूमि के भीतर पहुंचाने का कार्य करता है । यह गड्ढा प्रतिदिन लगभग 700 लीटर बेकार पानी को 5-6 सालों तक सोख्ता रहेगा।

बिभिन्न खेत्र में सोख्ता गड्ढा बनाने का मापदंड:-

- स्कूल में 300 छात्रों के लिए सोख्ता गड्ढा का साइज़ लम्बाई 1.4 मि x चोराई 1.4 मि x उचाई 1.2 मि
- स्कूल में 300 से 600 छात्रों के लिए सोख्ता गड्ढा का साइज़ लम्बाई 1.8 मि x चोराई 1.8 मि x उचाई 1.4 मि. होना चाहिए
- घरेलू स्तर पर इसका साइज़ 1 मि. x 1 मि. x 1 मि. होना चाहिए

सामुदायिक चापाकल पर 250 पानी उपयोगकर्ता के लिए सोख्ता गड्ढा का साइज़ 1.6 मि. x 1.6 मि. x 1.6 मि. होना चाहिए

4.2 सोख्ता गड्ढा बनाने की विधि:-

निम्न बिंदुओं के अनुरूप कार्य कर के हम इसको बना सकते है।

- इस गड्ढे के बीचो बीच 6 इंच व्यास का 2-10 फीट (जलस्तर के अनुसार) का बोर करें

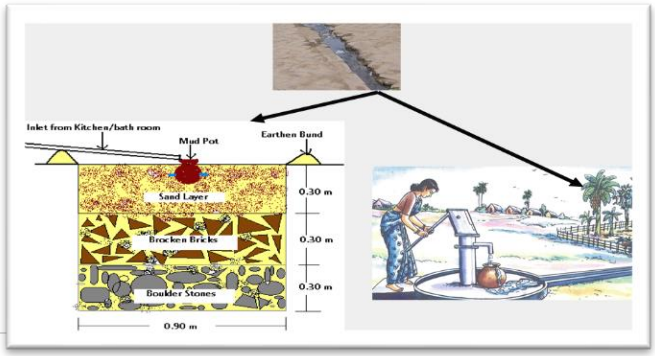

- अब इस् बोर में पिल्ली ईंटों (नरम ईंटों) की रोड़ी भरें।
- अब नीचे 1/4 भाग में 5 इंच x 6 इंच साईज़ के ईंटों के टुकड़े,फिर
- 1/4 भाग में 4 इंच x 5 इंच साईज़ के ईंटों के टुकड़े भर देते है।
- शेष 1/4 भाग में बजरी (2इंचx2इंच साईज़) भर देते है।
- अब 6 इंच की एक परत मोटे रेत की बना देते है।
- एक मिट्टी का घड़ा या पलास्टिक का डिब्बा लेकर उस में सुराख कर देते है फिट उस में नारियल की जटाएं या सुतली जूट भर देते है यह इसलिए कि पानी के साथ आने वाला ठोस गंद उपर ही रह जाएगा और कभी कभी सफाई करने के लिए भी सुविधा हो जाएगी।
- अब निकास नाली को इस घड़े या डिब्बे के साथ जोड़ देते है वेस्ट पानी इस में सबसे पहले आएगा।
- खाली बोरी से गड्ढे को ढक देते है।
- बोरी के उपर मिट्टी डाल कर गड्ढे को ईंटों से बंद कर देते है।

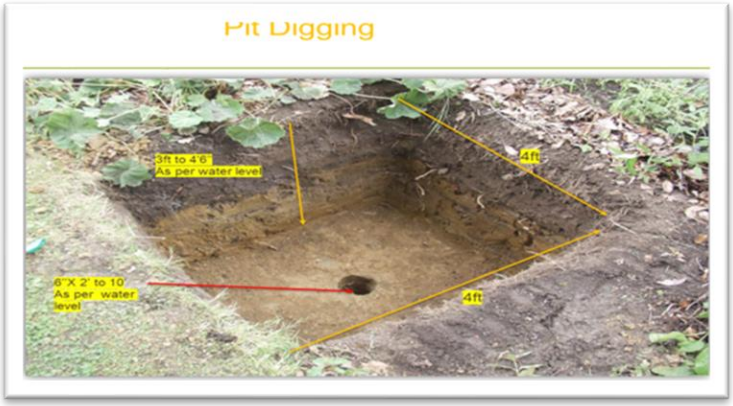

इस प्रकार सोख्ता गढ्ढा का निर्माण हो जाता है। सोख्ता गढ्ढा में कचरा ना जाये उसके लिए 1.5'x1.5'x1.5' का चैम्बर बनाया जाता है जिसे कम से कम 15 दिन पर साफ़ किया जाता है ।

5. जलबंधु कार्यक्रम पर चर्चा

भारत में और विशेष रूप से वाटर फॉर पीपल इंडिया के परियोजना क्षेत्र में सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति के लिए स्थापित कई चापाकल खराब-रखरखाव और कुशल चापाकल मिस्त्री की अनुपलब्धता के कारण गैर-परिचालन हो जाते हैं। वाटर फॉर पीपल इंडिया ने इस समस्या को हल करने के बारे में सोचा और जलबंधु (फ्रेंड्स ऑफ वॉटर) नामक चापाकल मिस्त्री के माध्यम से एक लंबे समय तक चलने वाले चापाकल के समाधान की पहल की। वे समुदाय द्वारा भुगतान शुल्क द्वारा पानी की व्यवस्था के लिए समय पर चापाकल मरम्मत प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति हैं।

जलबंधु कार्यक्रम पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में शुरू हुआ और इसकी सफलता के कारण इसे कई अन्य राज्यों के जिलों में विस्तारित किया गया। 2012-13 में, पश्चिम बंगाल के सफल संरक्षक के आधार पर, जलबंधु कार्यक्रम की शुरुआत शिवहर जिले में की गई थी और शुरू में प्रत्येक ग्राम पंचायत से दो व्यक्तियों यानी 106 (53 x 2) को (जिन्हें साइकिल, ऑटो, हैंड पंप मैकेनिक की तरह यांत्रिक रखरखाव का कुछ अनुभव था) विभिन्न चापाकल को बनाए रखने और उनकी मरम्मत करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया था, और सहयोगी संस्थाओ के माध्यम से जलबंधु को समुदायों से जोड़ा गया। उन्हें चापाकल के रखरखाव के लिए बुनियादी उपकरण किट भी प्रदान किए गए थे। कुछ समय बाद, यह पाया गया कि कई प्रशिक्षित जलबंधु पंचायत से बाहर चले गए हैं और कुछ ने अपना पेशा बदल लिया है। उस समय, यह सोचा गया था कि हर पंचायत मे कम से कम एक जलबंधु को जोड़कर रखा जाना चाहिए। उस मानक को पूरा करने के लिए 20 जलबंधुओं को एक विशेष प्रशिक्षण दिया

गया था और उन्हें लागत साझा करने के आधार पर मानक विशेष उपकरण (लागत का 80% वाटर फॉर पीपल इंडिया और 20% जलबंधुओं द्वारा) प्रदान किया गया था।
शिवहर में घरेलू स्तर पर इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर चापाकल PHE 6 हैं। मामूली मरम्मत कार्य को घर के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है, केवल कुछ विशेष या प्रमुख मरम्मत कार्यों के लिए जलबंधु को बुलाया जाता है। इंडिया मार्क-II के लिए, उपयोगकर्ताओं को सी.जी.टी. (चेकिंग, ग्रीजिंग और नट्स और वोल्ट्स के कसने) पर प्रशिक्षित और प्रेरित किया गया। इन चापाकल के किसी भी जटिल तकनीकी मरम्मत कार्य के लिए वे जलबंधु को बुलाते हैं। यह गतिविधि प्रमुख रूप से संचालित मांग है; यानी जब कुछ चापाकल पर कोई तकनीकी खराबी आती है तो जल उपयोगकर्ता समिति के सदस्य जलबंधु को बुलाते हैं। प्रत्येक जल उपयोगकर्ता समिति को एक जलबंधु के साथ टैग किया जाता है और चापाकल के स्थल पर नाम और संपर्क नंबर लिखा जाता है।
सहयोगी संस्थाओ के माध्यम से वाटर फॉर पीपल इंडिया जलबंधुओं के काम को निरंतर सहयोग और कार्यों की समीक्षा के लिए ब्लॉक स्तर पर समय-समय पर बैठक और वार्षिक प्रशिक्षण करते हैं। सहयोगी संस्थाओ के कार्यालय मे चापाकल खराब होने की प्राप्त सूचना को जलबंधु से साझा करते है जिससे उनका अधिक से अधिक व्यापार हो सके। शिवहर में अब तक लगभग 200 जलबंधुओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है, जिसमे वर्तमान में लगभग 54 जलबंधु सक्रिय हैं, जो जिले के सभी 53 पंचायत मे से अपने अपने आबंटित कार्यक्षेत्र की जिम्मेदारी लेते है। ड्रॉप आउट का प्रमुख कारण है कि कुछ प्रशिक्षित जलबंधु अपने कौशल विकसित होने के बाद बेहतर अवसर के लिए अन्य क्षेत्रों में चले गए हैं और कुछ ने अपने पेशे को बदल दिया है, लेकिन जो भी सक्रिय हैं वे अच्छी कमाई कर रहे है।
कार्य की गुणवत्ता और उनके द्वारा ठीक किए गए चापाकल की संख्या के लिए संबंधित क्षेत्र के सहयोगी संस्थाओ द्वारा जलबंधु के साथ ब्लॉक स्तरीय बैठकों में जलबंधु के काम की नियमित रूप से निगरानी की जाती है। बैठकों में अवलोकन और चर्चा के आधार पर जलबंधु को दक्षता बढ़ाने और त्वरित प्रतिक्रिया द्वारा ब्रेकडाउन समय को कम करने के लिए हैंडहोल्डिंग / उन्मुखीकरण किया जाता है।

- पंचायत स्तर पर पूरे जिले में प्रशिक्षित चापाकल मिस्त्री की व्यवस्था की गयी है|
- चापाकल मरम्मती एवं नये चापाकल निर्माण के आधुनिक एवं सरल औजार की व्यवस्था किया गया है|
- मोबाइल के द्वारा भी जलबंधु को बुलाया जा सकता हैं|
- उचित मूल्य पर जलबंधु चापाकल का मरम्मती एवं निर्माण करते हैं|
- पानी की जांच के संबंध में जानकारी प्रदान की जाती है ।

6. जल-जाँच पर चर्चा

- साल में दो बार पेयजल का जाँच करनी चाहिए एक बरसात से पहले और दूसरा बरसात के बाद |
- जल-जांच जिले में स्थित PHED में सरकारी जल जांच केंद्र में किया जाता है जो जल उपयोगकर्ता समिति के द्वारा करवाई जाती है ।
- जल की गुणवत्ता की जांच रासायनिक एवं जैविक आधार पर की जाती है ।

7. प्रशिक्षण का समापन

प्रशिक्षक प्रशिक्षण के समाप्त होने के पूर्व सबका धन्यवाद ज्ञापन करें एवं प्रतिभागियों को बेहतर काम करने के लिए शुभकामनाएं दे। अगर प्रशिक्षण के अंतिम सत्र में गाँव से ग्रामीण और कोई अधिकारी आ सके तो प्रतिभागियों का मनोबल बढ़ता है ।

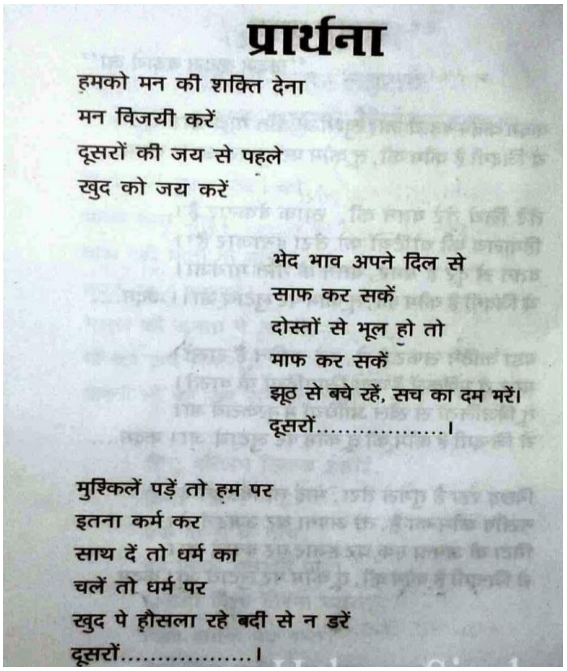

प्रार्थना

हमको मन की शक्ति देना
मन विजयी करें
दूसरों की जय से पहले
खुद को जय करें

भेद भाव अपने दिल से
साफ कर सकें
दोस्तों से भूल हो तो
माफ कर सकें
झूठ से बचे रहें, सच का दम भरें।
दूसरों.....।

मुश्किलें पड़ें तो हम पर
इतना कर्म कर
साथ दें तो धर्म का
चलें तो धर्म पर
खुद पे हौसला रहे बदी से न डरें
दूसरों.....।

अनुलग्नक

प्रशिक्षण में उपयोग आने वाले सामग्री

कार्यशाला में विभिन्न गतिविधियाँ की जाती है जिसके सफल क्रियान्वयन के लिए सहयोगी सामग्री की आवश्यकता होती है जिनमें

- चार्ट पेपर (कम से कम चार रंग के)
- सेलो टेप
- डबल साईड टेप
- रंगीन कार्ड
- स्केच पेन के सेट
- व्हाईट बोर्ड मार्कर
- व्हाईट बोर्ड
- छोटी कैंची
- प्रतिभागी के लिए पैड एवं कलम
- सचित्र संदेश कार्ड, छोटे उपकरण जैसे (पेचकस, स्पैनर आदि)